I

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 2788–दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–6–14 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला कटनी म0प्र0 प्रकरण कमांक 106/बी–121/2013–14.

अमित कुमार मोहनानी आत्मज श्री लीलाराम मोहनानी
निवासी मालवीय गंज कटनी
तहसील व जिला कटनी म.प्र. ----- आवेदक

विरूद्ध

1– मध्यप्रदेश शासन द्वारा अपर कलेक्टर, कटनी

2– मुहम्मद इश्ताक वल्द शेख अब्दुल (मृतक)
निवासी ग्राम पड़रवारा, तहसील एवं
जिला कटनी म.प्र. ----- अनावेदकगण

श्री ए0 के0 गौतम, अधिवक्ता, आवेदक ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 31-8-2015 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला कटनी के प्रकरण कमांक 106/बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 6–6–14 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम पड़रवार प.ह. नं. 44 रा.नि.मं. पहाड़ी तहसील व जिला कटनी के पटवारी द्वारा मिशल बंदोवस्त 1987–88 की प्रति के साथ शासकीय पट्टेदारों की मिशल बंदोवस्त के आधार पर अपर कलेक्टर को सूची पेश कर प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम पड़रवार प.ह. नं. 44 स्थित भूमि ख. नं. 567 रकबा 0.45 हैक्टर भूमि बंदोवस्त अभिलेख के अनुसार अनावेदक कमांक 2 मोहम्मद इश्ताक के नाम दर्ज है । पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट पर से प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही करते हुए आलोच्य आदेश द्वारा प्रश्नाधीन पट्टे की भूमि को संहिता की धारा 165 (7–ख) के

तहत बिना अनुमति के अंतरण किया जाना मानते हुए भूमि म0प्र0 शासन के नाम दर्ज करने के आदेश दिए । अपर कलेक्टर के इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

2/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि अपर कलेक्टर का आदेश अवैध एवं अनुचित है । आदेश पारित करने के पूर्व पक्षकारों को अपना पक्ष रखने तथा पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट पर साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण का अवसर दिये बिना पारित किया गया है, इस कारण अपास्त किये जाने योग्य है ।

यह तर्क दिया गया है कि अपर कलेक्टर का यह निष्कर्ष भी त्रुटिपूर्ण है कि आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 द्वारा भूमि कय विकय के संबंध में संहिता की धारा 165 (7–ख) के तहत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने संबंधी अनुमति नहीं ली गई है क्योंकि आवेदक द्वारा अनावेदक कमांक 2 मृतक इश्ताक से भूमि कय नहीं की है बल्कि जे.एन.राय नाम के व्यक्ति से दिनांक 19–5–2000 को भूमि कय की गई है । जे.एन.राय द्वारा उक्त भूमि अनावेदक कमांक 2 मृंतक इश्ताक, जिसे भूमि शासन द्वारा पट्टे पर दी गई थी से 20–2–1992 को पंजीकृत विकयपत्र से कय की गई थी । जिस समय जे.एन. राय द्वारा भूमि कय की गई उस समय विकेता का नाम भूमिस्वामी के रूप में अंकित था तथा भूमि अहस्तांतरणीय है इसका कोई उल्लेख राजस्व अभिलेखों में नहीं था । भूमि कय के उपरांत केताओं का विधिवत नामांतरण राजस्व अधिकारियों द्वारा कय किया गया । उक्त तथ्यों को अपर कलेक्टर ने पूरी तरह अनदेखा किया गया है । प्रथम बार विकय सक्षम अधिकारी की अनुमति से हुआ था या नहीं इस तथ्य की भी कोई जांच नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि अपर कलेक्टर ने प्रथम विकय के 22 वर्ष उपरांत पटवारी प्रतिवेदन पर कार्यवाही की है जो न्यायदृष्टांत 1998 (1) एम.पी.वीकली नोट 26, 2005 आर0एन0 66, 2010 आर.एन. 409 पूर्ण न्यायपीठ उच्च न्यायालय एवं 2013 आर. एन. 08 उच्च न्यायालय के प्रकाश में स्थिर रखने योग्य नहीं है । उक्त आधारों पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश को निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

3/ अनावेदकों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

4/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण पटवारी रिर्पोट पर से प्रारंभ हुआ है जिसके आधार पर अपर कलेक्टर ने यह मानकर कि प्रश्नाधीन भूमि बंदोवस्त अभिलेख के अनुसार अनावेदक कमांक 2 मृतक इश्ताक वल्द शेख अब्दुल के नाम शासकीय पट्टेदार के रूप में दर्ज है और वर्तमान अभिलेख में उक्त भूमि पर आवेदक का नाम दर्ज है । आवेदक एवं अनावेदक

क्रमांक 2 द्वारा उक्त भूमि के क्रय विक्रय के संबंध में संहिता की धारा 165 (7–ख) के तहत सक्षम अधिकारी की अनुमति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, अंतरण को शून्य मानते हुए प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित की गई है । इस प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर कलेक्टर का आदेश विधिसम्मत एवं न्यायिक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि इस प्रकरण में आवेदक द्वारा भूमि का क्रय अनावेदक क्रमांक मृतक इश्ताक से क्रय नहीं की गई है बल्कि मृतक इश्ताक द्वारा दिनांक 20–2–92 को भूमि का विक्रय जे.एन. राय को पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा किया गया है और जे. एन. राय द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र से भूमि दिनांक 19–5–2000 को आवेदक को विक्रय किया गया है । भूमि क्रय करने के उपरांत तत्समय क्रेताओं के नामांतरण पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर राजस्व अधिकारियों द्वारा किये गये । अपर कलेक्टर द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है । प्रकरण में जो पटवारी प्रतिवेदन है उसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि उक्त प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय किन–किन वर्षों में और किस–किस व्यक्ति को किया गया है जबकि उक्ताशय की जानकारी राजस्व अभिलेखों के आधार पर पटवारी को रहती है । अपर कलेक्टर द्वारा पटवारी रिर्पोट पर पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना तथा साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षण का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया है जो न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है । प्रथम विक्रय जब वर्ष 1992 में हुआ उस समय सक्षम अधिकारी से अनुमति ली गई या नहीं इसकी कोई जांच अपर कलेक्टर द्वारा नहीं की गई है तथा प्रथम विक्रय के 22 वर्ष उपरांत कार्यवाही करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया गया है जो प्रकरण के तथ्यों एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टांत 1998 (1) एम.पी.वीकली नोट 26, 2005 आर0एन0 66, 2010 आर.एन. 409 पूर्ण न्यायपीठ उच्च न्यायालय एवं 2013 आर.एन. 08 उच्च न्यायालय के प्रकाश में स्थिर रखने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर कलेक्टर द्वारा प्र0क0 106/बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 6–6–14 निरस्त किया जाता है । तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि आवेदक का नाम पूर्ववत राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जाये और तद्नुसार राजस्व अभिलेख संशोधित किये जायें ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर